

प्रेषक,

जे.एस.मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष
गोरखपुर विकास प्राधिकरण,
गोरखपुर

आवास अनुभाग—3

लखनऊ: दिनांक—19 जून, 2002

विषय : गोरखपुर महायोजनान्तर्गत आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 12/181—एस.टी.—सचिव/2001—2002 दिनांक 28.5.2002 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके साथ आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में शासनादेश संख्या 379/9—आ—3—72—वि/94 दिनांक 25.1.2002 द्वारा किए गए संशोधन का प्रस्ताव गोरखपुर विकास प्राधिकरण बोर्ड की दिनांक 16.5.2002 को सम्पन्न हुई 76वीं बैठक के मद संख्या—75.07 पर सर्वसम्मति से अंगीकृत कर शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संशोधित आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग—5 'प्रमुख भू—उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता में टंकण सम्बन्धी त्रुटि रह गई थी, जिसका निराकरण किया जाना आवश्यक है। अतः गोरखपुर विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अंगीकृत प्रस्ताव को निम्न संशोधनों सहित अनुमोदित किया जाता है :—

- (i) आवासीय क्रियाएं/उपयोग के अन्तर्गत क्रमांक—1.1 पर एकल आवास को कृषि भू—उपयोग जोन के (कालम—14) में सशर्त अनुमन्य दर्शाया गया है, को निषिद्ध दर्शाया जाए,
- (ii) क्रमांक—1.2 पर समूह आवास (युप हाउसिंग) को कृषि भू—उपयोग जोन के कालम—14 में सशर्त अनुमन्य दर्शाया गया है, को निषिद्ध दर्शाया जाए,
- (iii) क्रमांक—6 पर सार्वजनिक उपयोगिताएं के अन्तर्गत क्रमांक—6.6 के बाद 6.7 जोड़ा जाए जिसमें सेल्युलर/मोबाइल टावर क्रिया की विभिन्न भू—उपयोग जोन्स में अनुमन्यता के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान किए जाएं :—

निर्मित क्षेत्र, मिश्रित आवासीय, व्यवसायिक, लघु उद्योग, बृहद् उद्योग, कार्यालय, सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएँ, यातायात एवं परिवहन, ग्रामीण आबादी, तथा कृषि भू-उपयोग जोन्स में उक्त क्रिया को अनुमन्य दर्शाया जाए और पार्क व हरित पट्टी में विशेष अनुमति से तथा शुद्ध आवासीय में निषिद्ध दर्शाया जाए।

3. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त संशोधनों को गोरखपुर महायोजना जोनिंग रेगुलेशन्स में समायोजित करते हुए इसकी जानकारी जनता को देने हेतु एक सूचना रक्तानीय समाचार पत्रों में जारी कर दी जाए तथा महायोजनान्तर्गत भू-उपयोग विनियम की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से संशोधित जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार सुनिश्चित की जाए।

4. कृपया कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

जे.एस.मिश्र

सचिव।

संख्या : 2193(1)9—आ—3—72वि० / 94 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण गोरखपुर।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

संजय भूसरेड्डी

विशेष सचिव।